दिनांक: 10-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 05 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोटर साईकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.09.2023 को वादी श्री गुलबहार कुरैशी पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना को0देहात सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पैलण्डर रंग ब्लैक रजि0न0 UP11N1884 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 202/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए उक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व मे थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.09.23 को अभि0गण **1. कुशपाल उर्फ सगुन पुत्र सोमपाल निवासी आर0के0 पुरम गलीरा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2. अमन पुत्र अजय कुमार निवासी आर0के0पुरम 73/20 गलीरा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को दाबकी जुनारदार को जाने वाले रास्ते पर बन्द फाटक तिराहे से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। अभि0गण के कब्जे से मु0अ0सं0 202/23 धारा 379 भादवि मे चोरी गयी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर रजि0नं0 UP11N1884, चेसिस न0- 05A16F24781, इंजन न0 05A15E24095 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

जब पूछताछ की गई तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमने यह मोटर साईकिल दिनांक 08.09.2023 को दोपहर मे एसबीडी अस्पताल से चोरी की थी तथा इसके अलावा भी हमने और हमारे साथियो ने मिलकर और चार मोटरसाईकिले अलग अलग जगह से चोरी की थी। इसके अलावा हमारे तीन साथी एस0बी0डी0 अस्पताल के पीछे से जाने वाले रोड पर बने सरकारी ट्यूबैल के पास में चोरी की मोटर साइकिले लिये हुये खडे है। इस मोटरसाईकिल को भी हम वहीं पर लेकर जा रहे थे। उन 04 मोटरसाईकिलो के पास हमारे तीन साथी निगरानी मे खडे है। अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान एस0बी0डी0 जिला अस्पताल सहारनपुर के पीछे से जाने वाले रोड पर बने सरकारी नलकूप से करीब 15 कदम पहले पहुचे तो पुलिस को देखकर सामने खडी मो0सा0 के पास से ही तीन व्यक्ति मोटरसाईकिलों को छोडकर अम्बेडकर चौक की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। तब पुलिस टीम द्वारा तीनो व्यक्तियों का पीछा पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियों ने अपने-अपने नाम **1. भूपेन्द्र पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम भलस्वा गाज थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, 2. मोनू पुत्र कलीराम निवासी भलस्वा थाना नागल जिला सहारनपुर, 3. सचिन उर्फ सोनू पुत्र ज्ञान सिहं निवासी हसनपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** बताया। पकडे गये इन तीन व्यक्तियों से भागने का कारण पूछा तो तीनो ने एक ही स्वर मे बताया कि सरकारी ट्यूबैल के पास जो चार मो0सा0 खडी हैं, ये सब हमने अलग अलग जगह से सहारनपुर शहर से चोरी की थी । बरामदा मोटर साईकिलो को चैक किया गया तो 1- मो0सा0 हीरो होन्डा स्पैलन्डर प्लस रंग काला रजि0न0 UK07M7226 को मोबाइल ई -चालान एप पर चैक किया गया तो इसका सही नम्बर UP11AF5785

तथा वाहन स्वामी का नाम राघव शर्मा पुत्र् गुलशन शर्मा नि0 म0न0 4/897 चकरौता रोड जाफर नवाज सहारनपुर है, 2- मो0सा0 स्पैलन्डर प्लस रंग काला नीली पट्टी बिना नम्बर प्लेट को मोबाइल ई -चालान एप पर चैक किया गया तो इसका सही रजि0न0 UP11CV8549 तथा वाहन स्वामी का नाम मोनू पुत्र धारा सिंह नि0 मोहनपुरा तहसील नकुड़ सहारनपुर मो0न0 7251079277 है। 3- मो0सा0 हीरो होन्डा स्पैलन्डर प्लस नीली पट्टी, नम्बर प्लेट 5194 अंकित है ।उक्त को मोबाइल ई -चालान एप पर चैक किया गया तो इसका रजि0न0 UP115194AF तथा वाहन स्वामी राजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तान नि0 चकआदमपुर सहारनपुर है। 4- मो0सा हीरो स्पैलन्डर प्रो रंग काला , को मोबाइल ई -चालान एप पर चैक किया गया तो इसके बारे मे कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> सयुंक्त पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि जो 05 मोटर साईकिल हम पाँचो से आपने बरामद की है यह हम पाँचो व्यक्तियो ने अलग-2 स्थानो से चोरी की हैं। हमारा एक साथी अनुज चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर चोरी की गई मोटर साईकिलो को हमारे साथ मिलकर बिकवाता है। इन मोटर साईकिलो मे से UP11CB8549 नम्बर की मोटर साईकिल जो आपने बरामद की है। यह मो0सा0 अभी तक अनुज चौधरी के पास ही थी। इसको कल हम लेकर आये थे। चोरी के समय कभी हम पाँचो में से कोई एक मो0सा0 स्टार्ट करके चलता था और हम अलग -2 जगह निगारानी करते थे ताकिँ कही हमे कोई पहचान ना ले इसलिये कभी कोई निगरानी करता था तथा कभी कोई चोरी किया करता था। हम पाँचो मो0सा0 को चोरी करने मे साथ ही थे। आज हमसे से चार व्यक्ति 04 मोटर साईकिल के पास ही खडे हुये थे और अमन व कुशपाल किसी छोटे वाहन को इन मो0सा0 को लदवाने के लिये वाहन को लेने के लिये गये थे। इन दोनो को आपने पकड़ लिया था तथा ये ही दोनो आपको हमारे पास लेकर आये थे। आज हम इन पाँचो मो0सा0 को सहारनपुर से बाहर ले जाकर बेच देते, और इन मो0सा0 को बेचकर अपना कुछ दिन खर्चा चलाते । हमने मोटर साईकिल की पहचान छिपाने के लिये मो0सा0 पर एक फर्जी नम्बर प्लेट भी लगा रखी है। बरामद मोटर साईकिलो को चैक किया गया तो 1- मो0सा0 न0 UP11N1884 हीरो स्पलैण्डर,रंग काला के विषय मे अभियुक्तगणो ने बताया कि यह मो0सा0 दो-तीन दिन पहले एसबीडी से चोरी की थी जो थाना जनकपुरी के अ0स0- 202/23 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित है। जिसकी विवेचना उ0नि0 इन्द्रसैन द्वारा की जा रही है। नम्बर 2— मो0सा0 हीरो होन्डा स्पैलन्डर प्लस रंग काला रजि0न0 UK07M7226 को मोबाइल ई -चालान एप पर चैक किया गया तो इसका सही नम्बर UP11AF5785 तथा वाहन स्वामी का नाम राघव शर्मा पुत्र् गुलशन शर्मा नि0 म0न0 4/897 चकरौता रोड जाफर नवाज सहारनपुर उक्त मो0सा0 के विषय मे जानकारी करने पर अभि0गण ने बताया कि यह मो0सा0 हमने बागेश्वर मन्दिर थाना कोतवाली नगर से चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर से पता किया गया तो अ0स0 166/23 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित है। , नम्बर 03--- मो0सा0 स्पैलन्डर प्लस रंग काला नीली पट्टी बिना नम्बर प्लेट चैचिस न0 MBLHAW110MHD81725 इंजन न0 HA11EVMHD01381 को मोबाइल ई -चालान एप पर चैक किया गया तो इसका सही रजि0 न0 UP11CV8549 है ,वाहन स्वामी का नाम मोनू पुत्र धारा सिंह नि0 मोहनपुरा तहसील नकुड़ सहारनपुर मो0न0 7251079277 उक्त मो0सा0 के विषय मे जानकारी करने पर अभि0गणो ने बताया कि यह मो0सा0 हमने नवादा रोड थाना सदर बाजार क्षेत्र से चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार से पता किया गया तो अ0स0 317/23 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित है, नम्बर 04 मो0सा0 हीरो होन्डा स्पैलन्डर प्लस नीली पट्टी चैसिस न0 MBLHA10EZB9G00979 इंजन न0 HAIOEFB9G01289, नम्बर प्लेट 5194 अंकित है, इसका रजि0न0 UP115194AF तथा वाहन स्वामी राजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तान नि0 चकआदमपुर सहारनपुर है। नम्बर 05 मो0सा हीरो स्पैलन्डर प्रो रंग काला, चैसिस न0 MBLHA10ASDHC60 इंजन न0 HA10ELDHC45731 के विषय मे अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो इन दोनो मोटर साईकिल के विषय मे बताया कि यह मो0सा0 भी हमने काफी समय पहले चोरी की थी। सही से हमे याद नही है क्योकि हम लोग काफी मोटर साईकिल चुराते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-</u>

1. कुशपाल उर्फ सगुन पुत्र सोमपाल निवासी आर0के0पुरम गलीरा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. अमन पुत्र अजय कुमार निवासी 73 आरकेपुरम गलीरा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. भूपेन्द्र पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम भलस्वा गाज थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
4. मोनू पुत्र कलीराम निवासी भलस्वा थाना नागल जिला सहारनपुर,
5. सचिन उर्फ सोनू पुत्र ज्ञान सिहं निवासी हसनपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

<u>फरार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

अनुज चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह निमानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. मो0सा0 न0 UP11N1884 हीरो स्पलैण्डर,रंग काला चैसिस न0 05A16F24781 इंजन न0 05A15E24095
2. मो0सा0 न0 UK07M7226 हीरो होन्डा स्पैलन्डर प्लस रंग काला चैसिस न0 MBLHA10EZBHL29917 इंजन न0 HA10EFBHC25630 (इसका सही नम्बर UP11AF5785 चैसिस न0 MBLHA10EZBHL29917 इंजन न0 HA10EFBHC25630)
3. मो0सा0 स्पैलन्डर प्लस रंग काला नीली पट्टी बिना नम्बर प्लेट चैचिस न0 MBLHAW110MHD81725 इंजन न0 HA11EVMHD01381 (इसका सही रजि0 न0 UP11CV8549)
4. मो0सा0 हीरो होन्डा स्पैलन्डर प्लस नीली पट्टी चैसिस न0 MBLHA10EZB9G00979 इंजन न0 HAIOEFB9G01289, नम्बर प्लेट 5194 (इसका रजि0न0 UP115194AF)
5. मो0सा हीरो स्पैलन्डर प्रो रंग काला , चैसिस न0 MBLHA10ASDHC60 इंजन न0 HA10ELDHC45731

<u>अपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्त अमन पुत्र अजय कुमार निवासी 73 आरकेपुरम गलीरा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर

1. मु0अ0सं0 25/19 धारा 13जी एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 317/23 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 166/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 202/23 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 204/23 धारा 414/420/465 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर

अभियुक्त कुशपाल उर्फ सगुन पुत्र सोमपाल निवासी आर0के0पुरम गलीरा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर

1. मु0अ0सं0 342/21 धारा 379/411 भादवि थाना कु0शेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 281/21 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 448/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 455/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 456/21 धारा 411/414/420/465 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 531/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 317/23 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 166/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 202/23 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 204/23 धारा 414/420/465 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर

दिनांकः 10-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र PNB बैंक तीतरों के एजेंट के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 05 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूटी हुई धनराशि 14640 रुपये, 01 मोटरसाइकिल , 01 पीली धातु की चैन व अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद

बरामदगीः- ⇩

- **14640/- रूपये (लूटी हुई धनराशि)**
- **01 मोटरसाईकिल (घटना में प्रयुक्त)**
- **01 तंमचा 315 बोर**
- **02 जिन्दा कारतूस 315 बोर**
- **03 मोबाईल फोन**
- **01 पीली धातु चैन**

आवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2023 को ग्राहक सेवा केन्द्र PNB बैंक के एजेंट श्री अनमोल पुत्र मैनपाल सिंह निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जिला सहानरपुर ने थाना तीतरो पर मु0अ0स0 114/2023 धारा 392/411/414 भादवि व 3/25 आयुध अधि. पंजीकृत कराया था और मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण- **1.शुभम पुत्र विक्रम निवासी खन्दरावली थाना कांधला जनपद शामली हाल पता – ग्राम रेहडी मलकपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर, 2.मंगल पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम लोहरा थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर, 3.पिन्टू पुत्र रूपराम निवासी सेगली थाना अगोता जिला बुलंदशहर** को मय तमंचे के व घटना मे छीने गये थैले को मय कैश,मोबाईल, पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि के थाने लाये थे। जिनको कब्जे पुलिस मे लेकर थाना तीतरो पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से गहनता से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा घटना के षडयन्त्र मे **1.शिवचरण पुत्र अमन गुर्जर निवासी ग्राम खानपुर अफगान थाना तीतरों जिला सहारनपुर** व **2.नितिन पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम रेहडी मलकपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** का भी शामिल होना बताया गया। अभियुक्त शिवचरण नितिन को पुलिस द्वारा हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर उपरोक्त घटना का षडयन्त्र रचकर योजना बध तरीके से कारित कराना बताया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त शिवचरण व नितिन उपरोक्त के विरुद्ध धारा 392/120बी भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा. न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शिवचरन ने पूछताछ पर बताया कि मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था। मैने अपने दोस्त को बुलाकर घटना की योजना बनाई। मै अपनी दुकान के सामने खुले ग्राहक सेवा केन्द्र तीतरो पर काम करने वाले लडके अजय पुत्र सलेकचन्द निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जिला सहारनपुर को आते जाते कैश ले जाते देखा था, जो करीब 3-4 लाख रुपये सुबह शाम अपनी मोटरसाईकिल से लाता ले जाता था। बैग को छीनने की योजना बनाकर नितिन ने अपने साथी शुभम को बताया तथा शुभम अपने

साथी पिन्टु व मंगल उपरोक्त को लेकर कल दिनांक 9/9/2023 को आया था और मेरी बतायी हुई योजना के अनुसार बैग छीना लिया था परन्तु अजय के शोर मचाने पर तीनो मौके पर ही पकडे गये, और हमारी योजना पूरी नही हो पायी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम पतेः-</u>

1.शुभम पुत्र विक्रम निवासी खन्दरावली थाना कांधला जनपद शामली हाल पता – ग्राम रेहडी मलकपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

2.मंगल पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम लोहरा थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर

3.पिन्टू पुत्र रूपराम निवासी सेगली थाना अगोता जिला बुलंदशहर

4. शिवचरण पुत्र अमन गुर्जर निवासी ग्राम खानपुर अफगान थाना तीतरों जिला सहारनपुर

5. नितिन पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम रेहडी मलकपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 14640 /- रूपये (चोदहा हजार छ सौ चालीस) नकद
- 01 मोटरसाईकिल अपाचे
- 01 तंमचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 काला बैग जिसमे बैक की लूटी हुयी पासबुक, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आई कार्ड
- 03 मोबाईल फोन
- 01 पीली धातु चैन

<u>अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0स0 114/2023 धारा 392/411/414 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना तीतरो जिला सहारनपुर

2.मु0अ0स0 449/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जिला शामली

<u>अभियुक्त मंगल का आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0स0 114/2023 धारा 392/411/414 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर

2. मु0अ0स0 33/2020 धारा 363/376डी/506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर

3. मु0अ0स0 478/2023 धारा 392/411 भादवि थाना जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर

<u>अभियुक्त पिन्टु का आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0स0 114/2023 धारा 392/411/414 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर

2.मु0अ0स0 478/2023 धारा 392/411 भादवि थाना जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर

<u>अभियुक्त शिवचरन का आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0स0 114/2023 धारा 392/120 बी भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर

<u>अभियुक्त नितिन का आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0स0 114/2023 धारा 392/120 बी भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर

2.मु0अ0स0 449/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जिला शामली

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. प्रभारी निरी0 श्री प्रमोद कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर
3. का. 2374 नीरज कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर
4. 2494 देबू गौतम थाना तीतरो जिला सहारनपुर
5. म.का. 428 गुड्डन थाना तीतरो जिला सहारनपुर

दिनांकः **10-09-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार तथा कब्जे से 10 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **नूरयामिन पुत्र मंगता निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को 10 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा मसालेदार हरियाणा मार्का के ईदगाह कस्बा नकुड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 338/23 धारा 63 आबकारी अधि0 बनाम नूरयामिन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। नूरयामिन उपरोक्त पूर्व में भी थाना नकुड़ से चोरी के अभियोग मे जेल जा चुक है। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त नूरयामिन उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै ज्यादा पढा लिखा नही हूँ। मैं नशे का आदी हूँ। अपनी नशे की जरुरतो को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य से चोरी छीपे लाकर यह शराब बेचाता हुँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नूरयामिन पुत्र मंगता निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 459/16 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 468/16 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 470/16 धारा 414 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

10 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा मसालेदार हरियाणा मार्का

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 राजकुमार सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 559 सन्नी राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 2308 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक: 10-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलवा, हत्या के प्रयास का 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त डन्डा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.07.2023 को वादी श्री साबिर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम नसरूल्लागढ थाना नकुड सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अभि0गण द्वारा एक राय होकर गाली गलौच कर लाढी,डण्डो सरिया ,फावडे आदि से लैस होकर जान से मारने की नियत से हमला कर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता इस्लाम पुत्र शेरदीन व चाचा इकराम पुत्र शेरदीन व इनाम पुत्र मतलूब ,ताउ शहीद हसन पुत्र शेरदीन व जुलफान पुत्र शहीद हसन गुफरान पुत्र शहीद हसन ,असलम पुत्र इकराम व बहन रजिया उर्फ सबिया पुत्री इस्लाम व चाची राशिदा पत्नी इकराम के साथ मारपीट करने व घायल करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 247/23 धारा 147/148/149/323/504/506/352/307 भादवि बनाम 1.आरिफ पुत्र इकबाल, 2. मुस्तफा पुत्र इकबाल, 3. जम्मल पुत्र रहीस, 4. अब्दुल पुत्र हनीफ, 5-सकील पुत्र हलीफ, 6-यासीन पुत्र रहीस, 7- तासीन पुत्र रहीस, 8- कादिर पुत्र रहीस, 9- फरमान पुत्र रहीस, 10-नसीम पुत्र शरीफ, 11-इफजाल पुत्र रहीस निवासीगण ग्राम नसरूल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर व अन्य कई अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.09.23 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 247/23 धारा 147/148/149/323/504/506/352/307 भादवि में नामित व वांछित अभियुक्त आबिद उर्फ अब्दुल पुत्र हनीफ नि0 नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर को इसके घर से समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक डन्डा जिसकी लम्बाई 4 बालिस्त 4 अंगुल है बरामद हुआ। अभियुक्त का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभियुक्तगण 1. आरिफ पुत्र इकबाल 2. मुस्तफा पुत्र इकबाल 3. जम्मल पुत्र रहीस 4-सकील पुत्र हलीफ 5-यासीन पुत्र रहीस 6- तासीन पुत्र रहीस 7- कादिर पुत्र रहीस 8- फरमान पुत्र रहीस 9-नसीम पुत्र शरीफ 10-इफजाल पुत्र रहीस समस्त निवासीगण ग्राम नसरूल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर व अन्य कई अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं ग्राम नसरुल्लागढ़ का रहने वाला हूँ और खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दिनांक 05.07.2023 सुबह के करीब 10.00 बजे हमारे पडौसी साबिर पुत्र इस्लाम के साथ खेत से पानी की मेड टूटने को लेकर झगडा हुआ था, जिसमे हमारे पक्ष के व साबिर पक्ष के लोगो मे झगडा मारपीट हो गया था। झगडे के समय मेरे हाथ मे जो डन्डा था, वह डन्डा मैने अपने घर से उठाकर आपको दे दिया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

आबिद उर्फ अब्दुल पुत्र हनीफ नि0 नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

घटना मे प्रयुक्त 01 डन्डा

<u>अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जहाँगीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 2286 सुनील कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक: **10-09-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 12 बोतल देशी शराब मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का के साथ 01 शराब तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीले पदार्थो /अवैध मदिरा के विरुद्ध चैकिंग हेतु अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे टीमे गठित की गयी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित व्यक्ति के दौरान 01 अभियुक्त **हसीन पुत्र नसीम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सुचना पर मिर्जापुर-रायपुर रोड पर मलकपुर तिराहे पर रोक कर तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुयी । बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्त हसीन के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 133/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि मै मजदूरी करता है मेरे परिवार की स्थिति कमजोर है इसलिए मैं पैसे कमाने के लालच में मै हरियाणा मार्का देशी शराब खिज्राबाद से खरीदी थी जिसे आज मैं अपने यहाँ बेचने जा रहा था कि रास्ते में आपने पकड लिये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

हसीन पुत्र नसीम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल देशी शराब मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्र0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सेमपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 1016 मंदीप सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. एचजी 1130 पुष्पेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

प्रेस नोट

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे आज दिनांक 10.09.23 को पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र जनपद सहारनपुर में विवादित परिवारो की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक कल्पना त्यागी, म0का0 562 रीतू, म0का0 की उपस्थिति में कान्उसलर श्रीमति मीनू शर्मा, श्रीमान कुलभूषण जैन के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 18 प्रकरणो में दोनो पक्षो को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें 12 प्रकरणों मे दोनो पक्ष उपस्थित आये। 06 प्रकरणों मे दोनो पक्ष अनुपस्थित आये। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरो द्वारा 02 पक्ष मे समझौता कराकर पत्रावली बन्द की गई। 03 पक्ष मे मा0 न्यायालय चाराजोई की हिदायत देते हुए पत्रावली परिवार परामर्श केन्द्र से बन्द की गयी

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1.मोनिका पुत्री ऋषिपाल निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर	परमजीत पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम तेलीपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर	नेहा पत्नी सुनील कुमार पुत्री मैनपाल निवासी टिपरा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

प्रभारी
महिला एंव बाल सुरक्षा संगठन
जनपद सहारनपुर

दिनांक:**10-9-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वांछित चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10/9/23 को मु0अ0सं0 264/2023 धारा 380 भादवि के 01 वांछित अभियुक्त **आरिफ उर्फ आरिस पुत्र खालिद उर्फ गुल्लू निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को चोरी के 01 मोबाइल फोन रेडमी सहित कुरैशियान चौक से तीतरो तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। मोबाईल फोन बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

आरिफ उर्फ आरिस पुत्र खालिद उर्फ गुल्लू निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि पैसो के लालच में मैने यह मोबाईल चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ उर्फ आरिस पुत्र खालिद उर्फ गुल्लू निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उर्फ आरिस का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 424/2020 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 मोबाइल फोन रेडमी कम्पनी का

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2.का0 1718 अंकित धामा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3.है0का0 365 राहुल कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक:10-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नशा तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 40 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे नशा तस्करो को विरूद्ध की जा रही लगातार कार्यवाही के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10-9-23 को चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण- **1. मुबारिक पुत्र मतलूब निवासी ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर, 2. शहजाद पुत्र असद निवासी ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को 40 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक सहित सार्वजनिक शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 263/23 धारा 8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- मुबारिक व शहजाद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि पैसो के लालच में हम स्मैक बेचने का काम करते है। हम दूरस्थ स्थानो से स्मैक खरीदकर लाते हैं व चलते फिरते लोगो को स्मैक की पुडिया बनाकर बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मुबारिक पुत्र मतलूब निवासी ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. शहजाद पुत्र असद निवासी ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभि0 मुबारिक का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 44/2021 धारा 379/411 भादवि थाना गगोह जिला सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 47/2021 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 453/21 धारा 414 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4.मु0अ0सं0 264/21 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
5.मु0अ0सं0 0002/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर
6.मु0अ0सं0 304/2014 धारा 323/324/325/452/506 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7.मु0अ0सं0 522/2013 धारा 392/394/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

40 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 प्रवेज कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. कां0 1812 सचिन शर्मा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. 2542 राहुल कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. हो0गा0 1026 भूप सिहं, थाना गंगोह जिला सहारनपुर